

[23/2/2026]

प्रह्न सं. [क. 1641]

(संशोधित पत्र)

संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नंबर 3, भोपाल-462016
ई-मेल: dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/529858/ I/422705/2025
प्रति,

07-08-2025

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

विषय:- जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के लिये कृत्रिम अंग (कृत्रिम हाथ एवं पैर) के निर्माण हेतु कच्चे माल की सामग्री क्रय करने के संबंध में ।

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत दिव्यांगजनों की क्षमता को विकसित करने हेतु जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र द्वारा कृत्रिम हाथ एवं पैर तैयार किये जाने हेतु कच्चे माल की सामग्री क्रय करना होता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में एक बार राज्य स्तर पर संग्रहित निराश्रित निधि के मूलधन पर अर्जित ब्याज की राशि से रुपये 2.00 लाख तक व्यय करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के लिये निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ।

अतः प्रदेश के समस्त जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों में जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला निराश्रित निधि से रुपये 2.00 लाख तक के कृत्रिम हाथ एवं पैर तैयार किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर कच्चा माल एवं कृत्रिम अंगों की मरम्मत एवं फिटिंग/फिटमेंट कार्य हेतु सामग्री क्रय करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक सामग्री की आवश्यकता होने की स्थिति में तार्किक प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित करें।

यह आदेश पत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा।

BHARAT SINGH GOUR
ASSISTANT DIRECTOR

पृ.क्र./I/422705/2025

07-08-2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त प्रशासकीय अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिला पुनर्वास केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

ASSISTANT DIRECTOR